


भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (1)
PART II—Section 3—Sub-section (1)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 117] नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 16, 1979/चैत्र 26, 1901

No 117] NEW DELHI, MONDAY, APRIL 16, 1979/CHAITRA 26, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation.

विदेश मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 अप्रैल, 1979

सा. का. नि. 248 (अ).—पासपोर्ट अधिनियम, 1967 (1967 का 15) की धारा 24 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार इसके द्वारा पासपोर्ट नियम, 1967 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, यथा :—

1. (1) ये नियम पासपोर्ट (सौधा संशोधन) नियम, 1979 कहलायेंगे।
- (2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू हो जायेंगे।

2. पासपोर्ट नियम, 1967 के नियम 6 का पहला परन्तुक (जिसके बाद उक्त नियमावली कहा गया है) खण्ड (1) हटा दिया जाएगा।

3. उक्त नियमों की अनुसूची के फार्म ईए(पी)-1 में सत्यापन प्रमाण-पत्र के लिए निम्नलिखित रखा जाएगा, यथा :—

“मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि मैं आश्वस्त हूँ कि श्री/श्रीमती/कुमारी—
—पुत्र/पत्नी/पुत्री/श्री—द्वारा पासपोर्ट आवेदन-पत्र में दिया गया
विवरण सही है। मैं आवेदक को पासपोर्ट दिये जाने के योग्य समझता हूँ। मैं आश्वस्त
हूँ कि आवेदक भारत का नागरिक है।

कार्यालय—

दूरभाष—

निवास—

स्थान—

दिनांक—

हस्ताक्षर—

नाम (बड़े अक्षरों में)—

पदनाम—

कार्यालय मोहर”

[सं. 6/401/22/78]

क. डी. शर्मा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS
NOTIFICATION

New Delhi, the 16th April, 1979

G.S.R. 246(E).—In exercise of the powers conferred by section 24 of the Passports Act, 1967 (15 of 1967), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Passports Rules, 1967, namely :—

1. (1) These rules may be called the Passports (Fourth Amendment) Rules, 1979.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the first proviso to rule 6 of the Passports Rules, 1967 (hereinafter referred to as the said rules), clause (i) shall be omitted.

3. In Schedule III to the said rules, in Form EA(P)-I, for the existing Verification Certificate, the following shall be substituted, namely :—

“I hereby certify that I have satisfied myself that the particulars in the above application for a passport furnished by Shri/Smt./Kum.....

Son|Wife|Daughter of Shri.....are correct. I regard the applicant to be a suitable person to be considered for issue of a passport. I have satisfied myself that the applicant is a citizen of India.

Office.....

Telephone.....

Residence.....

Place.....

Date.....

Signature.....

(Name in block letters).....

Designation.....

OFFICE SEAL"

[No. VI|401|22|78]

K. D. SHARMA, Jt. Secy.

